जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों को 5 हजार पौधों का वितरण किया

अमरूद, आंवला, जामुन, नींबू सहित पौधों का निःशुल्क वितरण

निवाई। वन विभाग के तत्वावधान में संजय वन में पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, विधायक रामसहाय वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों ने किसानों को 5 हजार 780 फलदार पौधे वितरित किए।

जलदाय मंत्री चौधरी ने किसानों से कृषि वानिकी अपनाने का आव्हान करते हुए कहा कि फलदार पौधों का रोपण किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण में वृद्धि का प्रभावी माध्यम है।सरकार द्वारा फलदार पौधे उपलब्ध कराना एक सराहनीय पहल है। साथ ही आव्हान किया कि बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के इस माहौल में कृषि वानिकी एक सराहनीय कदम है। इस योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि यह परियोजना कृषि वानिकी को बढ़ावा देने, किसानों की आय में वृद्धि, जैव विविधता संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

किसानों को पौधे वितरित करते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी व विधायक रामसहाय वर्मा।

वन रेंजर धारीलाल बैरवा ने बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित किसानों को निःशुल्क फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पौधों के सफल संरक्षण एवं रखरखाव के लिए प्रति पौधा प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही पौधों के सफल संरक्षण एवं रखरखाव के लिए प्रति पौधा प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रथम वर्ष 20 रूपए,

- उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक योजना का लाभ लेकर कृषि वानिकी अपनाने का आव्हान किया

द्वितीय वर्ष 25 रूपए, तृतीय वर्ष 35 रूपए एवं चतुर्थ वर्ष 45 रूपए प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक योजना का लाभ लेकर कृषि वानिकी अपनाने का आव्हान किया। किसानों को अमरूद, आंवला, जामुन, नींबू सहित 5 हजार 780 फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष पितिन छाबड़ा, नवरत्न सोहेला, सियाराम शर्मा, जिला परियोजना समन्वयक रोडूलाल व वन कर्मचारी, राजीविका स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि व कई किसान मौजूद थे।

निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए प्रकोष्ठ गठित

अलवर। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत व नगर पालिका) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के आम चुनाव 2026 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सहायक प्रभारी नियुक्त कर प्रकोष्ठों का गठन किया है।

- जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक को गेट पास व परिचय पत्र प्रकोष्ठ के लिए प्रकोष्ठ अधिकारी नियुक्त किया

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन संबंधित कार्यों के संपादन के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया है, जिनमें उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम) को निर्वाचन प्रकोष्ठ, नाम निर्देशन प्रकोष्ठ, निर्वाचन सामग्री क्रय व वितरण प्रकोष्ठ, निर्वाचन लेखा एवं भुगतान प्रकोष्ठ, निर्वाचन सामग्री, स्टोर एवं वितरण प्रकोष्ठ, मतदान/मतगणना दल गठन प्रकोष्ठ के लिए प्रकोष्ठ प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय को प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, निर्वाचन व्यय एवं मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, वाहन व्यवस्था प्रकोष्ठ, नगर विकास न्यास सचिव एवं भू आवाप्ति अधिकारी को आदर्श आचार संहिता की पालना/शिकायतों का निवारण प्रकोष्ठ, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर को कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को स्वीप, प्रचार-प्रसार व दिव्यांगजन सहायता प्रकोष्ठ, नगर विकास न्यास की सचिव एवं नगर निगम आयुक्त को सामान्य व्यवस्था एवं मतगणना प्रकोष्ठ, उपखण्ड अधिकारी अलवर एवं प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख शाखा को रूटचार्ट, चेक पोस्ट, मानचित्र प्रकोष्ठ, भूप्रबंध अधिकारी अलवर को ईवीएम/मतपेटी प्रकोष्ठ, कोषाधिकारी को मतपत्र, डाकमत पत्र मुद्रण एवं विधिक सामग्री प्रकोष्ठ, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (प्रथम) को वीडियोग्राफी व निर्देशिका प्रकाशन प्रकोष्ठ, उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (द्वितीय) को डाकमत पत्र प्रकोष्ठ, जिला रसद अधिकारी को पीओएल, अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था प्रकोष्ठ, उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को मीडिया, सूचना एवं प्रसारण प्रकोष्ठ, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक को आईटी प्रकोष्ठ, सहायक निदेशक लोक सेवाएं को नियंत्रण कक्ष व शिकायत प्रकोष्ठ, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को पर्यवेक्षक प्रकोष्ठ, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक को सांख्यिकी प्रकोष्ठ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कर्मचारी कल्याण एवं चिकित्सा व्यवस्था प्रकोष्ठ तथा जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक को गेट पास व परिचय पत्र प्रकोष्ठ के लिए प्रकोष्ठ अधिकारी नियुक्त किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी प्रकोष्ठ (नगर निगम) प्रभारी जिला कलक्टर तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रकोष्ठके रिटर्निंग अधिकारी नगर पालिका समस्त होंगे।

समरता संकल्प रथ शाहपुरा में कल आएगा

शाहपुरा। संत गुरु रविदास महाराज की 650 वी जयंती वर्ष पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान कार्यक्रम के तहत शाहपुरा विधानसभा में समरसता का संदेश देने के लिए रथ 8 अगस्त को आएगा। जानकारी देते हुए जमवारामगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान एवं जयपुर ग्रामीण यात्रा कलश यात्रा प्रभारी एडवोकेट रघुवीर सिंह चौधरी ने बताया कि भाजपा द्वारा संत गुरु रविदास महाराज की 650 वी जयंती वर्ष के उपलक्ष में प्रदेश भर में समरसता संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश समरसता संकल्प रथ यात्रा निकाली जा रही है। जिसके तहत जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में शाहपुरा विधानसभा के पांचो मंडलों के क्षेत्र में 8 अगस्त को समरसता संकल्प रथ आएगा।

रथ सबसे पहले गंगा माता मंदिर अम्बेडकर नगर, मनोहरपुर मंडल में 8 अगस्त को 11 बजे आएगा। इसके बाद 12.30 बजे रावधीर सिंह कॉलोनी त्रिवेणी रोड, शाहपुरा शहर मण्डल, त्रिवेणी धाम शाहपुरा देहात मंडल में 1.30 बजे, अमरसर मंडल 3 बजे, मुख्य बाजार खेजरोली, खेजरोली मंडल 5 बजे आएगा।

नियमों की अनदेखी कर दौड़ रही बसों पर कसा शिकंजा

किशनगढ़ बास। खैरथल तिजारा विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुड़ी के नेतृत्व में परिवहन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात्रि को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर सकतपुरा-बावद के निकट स्लीपर एवं लग्जरी बसों के विरुद्ध विशेष निरीक्षण कर नियम उल्लंघन पर दो बसों के चालान व 30 हजार का जुर्माना लगाया। यह विशेष निरीक्षण अभियान खैरथल तिजारा जिले में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल-तिजारा (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) शैलेन्द्र व्यास के निर्देशन में चलाया हुआ है।

- नियमों का उल्लंघन करने पर दो बसों के चालान, 30 हजार का जुर्माना लगाया

जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेसन की जांच करते विशेष जांच दल अधिकारी।

बुधवार देर रात को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अजीत कुड़ी के नेतृत्व में परिवहन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर सकतपुरा-बावद के निकट स्लीपर एवं लग्जरी बसों की जांच के लिए पहुंची। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसों को रूकवाकर गहन जांच की गई। जांच में मोटर वाहन अधिनियम एवं परिवहन नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने पर दो बसों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।

जांच दल अधिकारियों ने बताया जांच के दौरान दोनों बसों के आपातकालीन निकास अवरुद्ध थे, जिससे दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी।

पावटा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक

पावटा। कोटपूतली-बहरोड़ जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर के दिशा-निर्देशन में बुधवार को जयपुर रोड स्थित पावटा शाहपुरा होटल, बावड़ी में खेलना पछुडाला क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई।

- कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आव्हान

बैठक में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंडल प्रभारी बजरंग यादव, पीसीसी सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदीश मीणा तथा आदिवासी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश मीणा की गरिमामयी उपस्थिति रही। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। सभी कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ स्तर तक पहुंचकर आमजन की समस्याओं को सुनें तथा पार्टी की नीतियों और जनहितकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, आपसी समन्वय बढ़ाने तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया।

इस अवसर पर भेरूलाल यादव, बनवारी कुमावत, कमलकांत बाकोलिया, राकेश बाकोलिया, भागीरथ जाजोरिया, रामरतन जाजोरिया, विपिन मीणा एवं लकी बाकोलिया सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संगोष्ठी का शुभारंभः पावटा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय विराटनगर द्वारा बुधवार को झूण्डा का बालाजी, किशनपुरा स्थित संभागीय महात्मा गांधी विद्यालय में दो दिवसीयसंस्था प्रधान वाक्पीठ संगोष्ठी का शुभारंभ विधायक धनकड़ के मुख्य आतिथ्य में हुआ।

नाम परिवर्तन मैं आलिया इम्बेसात (Aaliya Imbesat) पत्नी इम्बेसात आलम सिद्दीकी उम्र 31 वर्ष निवासी 2/18 हाउसिंग बोर्ड वन विहार कॉलोनी दिल्ली बाईपास जयपुर की हूं तथा शपथपूर्वक ब्यान करती हूं कि- यह की मेरे पूर्व दस्तावेजात में मेरा नाम आलिया कुरैशी (Aaliya Qureshi) अंकित था। मेरा विवाह हो चुका है मैंने अपने सम्पूर्ण दस्तावेजातों में अपना नाम आलिया कुरैशी (Aaliya Qureshi) के स्थान आलिया इम्बेसात (Aaliya Imbesat) करवा लिया है। भविष्य में मुझे आलिया इम्बेसात (Aaliya Imbesat) नाम से ही जाना पहचाना जावे।

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक:- 2765 **आम जाहिर सूचना** दिनांक:- 05.08.26
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या 8/H/109 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 236.25 वर्ग मीटर का आवंटन श्री रामपाल, श्री सीताराम पुत्रान श्री नौन्या को किया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2071 दिनांक 19/10/2006 जारी किया गया था। उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक जयपुर, प्रथम में राशि रु. 200/- से मुद्रांकित है। खातेदार श्री रामपाल, श्री सीताराम पुत्रान श्री नौन्या के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का मुख्यारनामाआम श्री ललित कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। उक्त मुख्यारनामाआम कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 07/01/2011 को पंजीबद्ध है। तत्पश्चात मुख्यारनामाआम धारक श्री ललित कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती मीनू बलाना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार बलाना को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक 24/01/2011 को करवाया गया। श्रीमती मीनू बलाना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार बलाना के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद की प्रति, अण्डरटेकिंग, मुख्यारनामाआम की छाया प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छाया प्रति, स्वयं एवं गवाह का पहचान पत्र प्रस्तुत कर उक्त विकसित भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने पक्ष में कर उक्त भूखण्ड का नवीन पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त हस्तान्तरण के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती मीनू बलाना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार बलाना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर उनकी पक्ष में उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का नवीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। **सम्पदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ.म., जयपुर**

कार्यान्वय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100902 लोक सुनवा दिनांक: 05.08.2026
श्री JEEVANRAM POA KAILASH CHAND SHARMA पुत्र श्री BIRDI CHAND जाति BRAHMIN निवासी 76 TIBA WALI DHANI, SARANGPURA, JAIPUR, RAJ-302026 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	सांगपुरा, सांगानेर (जयपुर)	1.) जीवनराम पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार हिस्सा पूर्ण जाति हरियाणा	289	0.97	0.97
2			290	0.02	0.02
3			291	0.02	0.02
4			292	0.51	0.51
			कुल		1.52

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 - क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्धारण पर कोई आपत्ति हो तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन मीटर-मीटर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें' Option में जाकर उसी सर्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं (उपर्युक्त नियम समय के मीटर-मीटर किसी अवधि के अन्तर में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 05-08-2026 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी जोन-11, जविप्रा, जयपुर**

खोया पाया

मेरे मकान संख्या 70/186 पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर का मूल अलोटमेन्ट लैटर नम्बर- 2309, दिनांक 17/01/1994 कही गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें- मुकेश कुमार जैन 9829089649

मेरी दुकान नंबर सी-62, महात्मा ज्योतिबा फुले रिटेल मार्केट निवारू रोड़, का डिमांड लेटर आवंटन पत्र खो गया है, मिलने पर सूचित करें- मुकेश सिंह 9928-678209

मेरे आवास संख्या फ्लैट नम्बर 31/69/09 वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल कब्जा पत्र कही खो गया है। मिलने पर सूचित करे- विनेश कुमार जैन मो.- 9829150784

मेरे आवास संख्या फ्लैट नम्बर 31/69/10 वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर का मूल कब्जा पत्र कही खो गया है। मिलने पर सूचित करे- विनेश कुमार जैन मो.- 9829150784

मेरे भूखंड सं. 38-ए हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना श्री राम विहार जगतपुरा जयपुर का समिति से जारी मूल सोसाइटी रसीद कही गुम हो गयी है सूचित करे- दीनदयाल अग्रवाल मो. 8963841367

मेरे भूखंड सं. 232 अमृत कुंज- ग्राम-भाम्बोरी जयपुर का जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान, स्टाम्प पेपर, आवंटन-पत्र, कब्ज़ा पत्र, रसीद और अन्य दस्तावेज़ कही गुम हो गए है सूचित करे- लोकेश शर्मा मो. 8233350049

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक 2632 **आम जाहिर सूचना** दिनांक 27.07.2026
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा फ्लैट संख्या 15/29 (SF) मालवीय नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 31.200 वर्ग मीटर का आवंटन श्री शिव चन्द खरीटा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 570 दिनांक 30.04.1996 जारी किया गया था। श्री शिव चन्द खरीटा पुत्र श्री जीवन राम के द्वारा उक्त फ्लैट का मुख्यारनामाआम श्री आर्यन चौधरी पुत्र श्री सुरेश चौधरी को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्यारनामाआम कार्यालय उप पंजीयक गुढा गौडजी (झुन्झुनु) में दिनांक 16.09.2025 को पंजीबद्ध है। मुख्यारनामाआम धारक श्री आर्यन चौधरी पुत्र श्री सुरेश चौधरी के द्वारा मुख्यारनामाआम धारक की हैसियत से उक्त फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 10.11.2025 को करवाया गया। तत्पश्चात मुख्यारनामाआम धारक श्री आर्यन चौधरी पुत्र श्री सुरेश चौधरी के द्वारा फ्लैट का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्री रवि सिंह बंजारा पुत्र श्री सुंदर लाल धोबी को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप-पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर में दिनांक 05.12.2025 को करवाया गया है। श्री रवि सिंह बंजारा पुत्र श्री सुंदर लाल धोबी के द्वारा के द्वारा फ्लैट का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम बेचा का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री रवि सिंह बंजारा पुत्र श्री सुंदर लाल धोबी का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा। **सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल वृत तृतीय, जयपुर।**

नगर निगम जयपुर
(प. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक : एफ-66 (उपा.राज.-द्वितीय/सा.प्र.) / नजि./2026/ 574 दिनांक:- 06/08/2026
सार्वजनिक विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित बनीपार्क विस्तार योजना, जयपुर के भूखण्ड संख्या ई-93, बनीपार्क विस्तार, जयपुर क्षेत्रफल 449 वर्गगज का आवंटन पत्र श्री जय नारायण यादव के नाम से जारी किया गया था। अब उक्त भूखण्ड संख्या ई-93, बनीपार्क विस्तार, जयपुर क्षेत्रफल 196.59 वर्गमीटर का विभिन्न पंजीकृत/अपंजीकृत शृंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का लीज होल्ड पट्टा श्री हरि सिंह यादव पुत्र श्री जय नारायण यादव निवासी ई-93, बनीपार्क विस्तार, जयपुर दूरभाष नं. 9660712596 के द्वारा चाहा गया है। अतः भूखण्ड संख्या ई-93, बनीपार्क विस्तार, जयपुर क्षेत्रफल 196.59 वर्गमीटर का लीज होल्ड पट्टा श्री हरि सिंह यादव पुत्र श्री जय नारायण यादव निवासी ई-93, बनीपार्क विस्तार, जयपुर के पक्ष में किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी अथवा अन्य हितसम्बद्ध व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालयः उपायुक्त, राजस्व द्वितीय, कक्ष सं. 227 प्रथम तल, नगर निगम जयपुर मुख्यालय, लाल कोठी जयपुर में प्रस्तुत करें अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार उक्त भूखण्ड का लीज होल्ड पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त (राजस्व द्वितीय) नगर निगम जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सूचना
श्रीमती पूजा अग्रवाल अपने माता पिता- श्रीमती रेवा अग्रवाल,श्री बृज दीपक अग्रवाल की मृत्यु होने के कारण,पिता के नाम पर दर्ज वाहन कार I20 (RJ45CV1032) इंजन नं. G4LFNM378847 एवं चेसिस नं. MALBH512LNM192787 का नामांतरण अपने नाम पर कराने हेतु RTO जयपुर में आवेदन कर रही हैं। जिसे भी कोई आपत्ति हो वह RTO झालाना जयपुर में प्रकाश की तारीख से10दिनों में दर्ज करें।

आम सूचना मेरी अभिभाष्या श्रीमती झमरी पत्नी स्व. श्री रामनिवास निवासी 50-ए, सीतानगर, गोनेर मोड, टोंक रोड, जयपुर (राज0) में परिवार सहित निवास कर रही हैं तभा उक्त प्लाट की मालिक, काबिज व स्वामिनी है। मेरी अभिभाष्या के पौत्र दीपक चौधरी पुत्र श्री हनुमान प्रसाद एवं पौत्रवधु सुनीता चौधरी पत्नी श्री दीपक चौधरी कहे मे नही हैं और आये दिन मेरी अभिभाष्या के साथ उसकी पौत्रवधु सुनीता चौधरी हिंसा, मार-पीट व क्रूरता कारित कर प्रताड़ित करती आ रही है तथा मेरी अभिभाष्या का पौत्र दीपक अपनी पत्नी सुनीता के द्वारा की जाने वाली क्रूरताओ का विरोध ना करके चुप रहकर उसे मौन समर्थन प्रदान करता है, जिस कारण मेरी अभिभाष्या अपने पौत्र दीपक चौधरी व पौत्रवधु सुनीता चौधरी को अपने निज़ जीवन व अपनी उक्त सम्पति से बेदखल करती है। आज दिनांक के बाद मेरी अभिभाष्या का उसके पौत्र एवं पौत्रवधु से निज़ जीवन एवं उक्त सम्पति से किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार व नही होगा तथा मेरी अभिभाष्या के पौत्र दीपक चौधरी व पौत्रवधु सुनीता चौधरी के द्वारा किसी भी दीगर व्यक्ति, फर्म, संस्थान के साथ किसी भी प्रकार किया गया संव्यवहार स्वतः ही शून्य माना जायेगा तथा उसके संबंध में समस्त जिम्मेवारी मेरी अभिभाष्या के पौत्र दीपक चौधरी व पौत्रवधु सुनीता चौधरी की स्वयं की होगी। सूचित रहे।
अनिल मोहता एडवोकेट, मो.नं.- 9314021355

आम-सूचना हर आम खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य परमेन्दर सैनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी, निवासी – प्लॉट नम्बर 7, कजौड कॉलोनी, शुभम विहार, रूप नगर द्वितीय के पास, महेश नगर, जयपुर – 302015 हक व अधिकार का भूखण्ड संख्या- 7, योजना कजौड कॉलोनी, शुभम विहार, सोसायटी – माणिकचन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि० से मेरे पिता श्री कन्हैयालाल सैनी पुत्र स्व० श्री यादराम सैनी द्वारा खरीद किया गया। खरीद करने के पश्चात् समिति द्वारा भूखण्ड संख्या-7 के मूल दस्तावेज –आवंटन पत्र, साईड प्लॉन, रसीद मेरे पिताजी के नाम भूखण्ड आवंटित कर भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द किया गया। मेरे पिताजी जो एक वरिष्ठ नागरिक है तथा अनपढ़ निरक्षक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है। जिसके चलते वर्ष 2024 से उनका ईलाज चल रहा है। मुझे अन्देशा है कि कुछ भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति मेरे हक व अधिकार के भूखण्ड को किसी दीगर व्यक्ति/संस्था के बहकावे में आकर या जबरन दबाव बनाकर किसी दीगर व्यक्ति/संस्था के पक्ष में भूखण्ड हस्तान्तरण दस्तावेज निष्पादित करा देते है तो वह स्वतः शून्य व बेअसर होगा। यदि आज दिवस से पूर्व उक्त भूखण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित कर दिया हो तो भी वह स्वतः ही शून्य व प्रभावहीन होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मेरे अभिभाष्य द्वारा Can Fin Homes Ltd से वर्ष 2016 से ऋण सुविधा प्राप्त कर निरन्तर रूप से मासिक किश्तो का भुगतान किया जा रहा है। भागचन्द सैनी
एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट
मोबाईल नम्बर : 9261109770

नाम परिवर्तन
मैं जमना देवी उर्फ केली देवी पत्नी स्व. श्री अम्बालाल गुर्जर निवासी लोदेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक शपथ करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम केली देवी पत्नी श्री अम्बालाल गुर्जर था। अब मैने मेरा नाम परिवर्तन करवाकर जमना देवी पत्नी स्व. श्री अम्बालाल गुर्जर करवा लिया है। अब मैरे सभी दस्तावेजो में मेरा नाम जमना देवी पत्नी स्व. श्री अम्बालाल गुर्जर ही है। मैं जमना देवी एवं केली देवी एक ही महिला हूँ। जमना देवी पत्नी स्व. श्री अम्बालाल गुर्जर के नाम से कोई भी देनदारी होगी, तो उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं रहूंगी।

मैं रेखा अग्रवाल पत्नी राजेश अग्रवाल निवासी- 3703, गोपीनाथ वैद की गली, फूटा खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर, राजस्थान- 302003 मैने अपना नाम रेखा अग्रवाल (Rekha Agarwal) से बदलकर रेखा अग्रवाल (Rekha Agrawal) कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाने।

मैं Chogan Lal Mali मेरे पुत्र-खुशाल कुमार सैनी के विद्यालय रिकोर्ड में Chaugan Lal Mali हो गया है जबकि मेरे सभी डॉक्युमेन्ट में Chogan Lal Mali है में इस त्रुटि को सही करवाना चाहता हूँ।

I have changed my name from Pratima Bhattacharya to Pratima Mukul Bhattacharya W/o Mukul Manoj Bhattacharya for all future purposes. Address: 96 The Royal Avenue, Sanganer, Tonk Road, Sanganer Bazar, Jaipur- 302029

I have changed my name from Mukut Nand Lal Gupta to Mukut Gupta in my documents for all future purposes. Mukut Gupta s/o Shree Nand Lal Gupta R/o A-204, 16, Diggi house, Jaipur (Raj.) 302004

तीये की बैठक

अत्यंत दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती संतोष खत्री** धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार खत्री का स्वर्गवास 5.8.2026 को हो गया है। तीये की बैठक 7.8.2026 को सायं 5 से 6 बजे अपने निवास स्थान-प्लॉट नंबर 26, प्रेम नगर, नियर कियान क्रिकेट एकेडमी के पास की जाएगी।
शोकाकुल: दीपक (राष्ट्रदूत)-दीपा (पुत्र-पुत्रवधू), नरेंद्र-ऋतु, योगेश-वर्षा (बेटी-दामाद), चेष्टा, खुशी, लहर, भावेश (पौत्री, पौत्र), अक्षय-जिया (दोहिता, दोहिती) मो. 9829660047, 6378055502

सूचना श्री गोपाल सिंह और श्रीमती शारदा अपने पिता श्री सुरज पाल सिंह और माता श्रीमती कलावती की मृत्यु के पश्चात पिता मे नामनि दर्ज Honda Activa DLX RT60SX2482 और Scooty Pep+ Matte RJ14KC6877 को अपने भाई विजय पाल सिंह के नाम कराने हेतु RTO जयपुर मे आवेदन कर रहे है। अतः जिसे भी कोई आपत्ति हो वह RTO झालाना जयपुर में प्रकाशन की तारीखसे 10 दिन में दर्ज करें।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 2647 दिनांक :- 30/07/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 192/254 (MIG-A), (एरिया 90.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री हरिश अरोड़ा पुत्र स्व. श्री त्रभि लाल अरोड़ा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 09.03